


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2015/पौष 16, 1936

No. 43]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2015/PAUSHA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 49(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2594 (अ), तारीख 12.10.2009 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 23.600 कि.मी. से 140.200 कि.मी. (गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, और हरतांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, उत्तर प्रदेश, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 23.600 कि.मी. से 140.200 कि.मी. (उपर्युक्त खण्ड का डिजाइन चैनेज-23.600 कि.मी. से 149.900 कि.मी. तक लम्बाई 126.30 कि.मी. है) तक गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" संदर्भित किया गया है) का चार लेन में तथा नियत तारीख की 12 वीं वर्षगांठ से पूर्व उसका छह-लेन में विकास करने के लिए 19.06.2009 को प्रस्तुत की गई बोली मैसर्स गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी 5/7, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 20.05.2010 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 74.350 कि.मी. हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 23.600 कि.मी. से 140.200 कि.मी. (उपर्युक्त खण्ड का डिजाइन चैनेज 23.600 कि.मी. से 149.900 कि.मी. तक, लम्बाई 126.30 कि.मी.) (गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन) के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा 51.800 कि.मी. लम्बाई वाले में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा 51.800 कि.मी. लम्बाई वाले में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथा-विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(2)	(3)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	शुल्क की आधार दर (प्रतिवाहन प्रति यात्रा रुपए)				
	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रुपए से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	2.25	3

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
47.500 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 47.022 जी.बी.नगर जिले में लुहारली गांव के पास	46.700
113.300 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 110.100) अलीगढ़ जिले में सोमना गांव के पास	27.650*

* उक्त करार की अनुसूची आर के अनुसार वह लम्बाई जिसके लिए शुल्क संदेय है 27.650 कि.मी. है यद्यपि वास्तविक लम्बाई 27.800 कि.मी. है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए बाइपासों की विनिर्दिष्ट लागत हेतु आधार दर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) और स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	नाम और डिजाइन चैनेज	लम्बाई	लागत
47.500 कि.मी. जी.बी.नगर जिले में लुहारली गांव के पास	दादरी बाइपास 33.830 कि.मी. से शुरू होकर 41.850 कि.मी. पर मिलते हुए	8.020	80.00
47.500 कि.मी. जी.बी.नगर जिले में लुहारली गांव के पास	सिकन्दराबाद बाइपास 54.020 कि.मी. से शुरू होकर 60.100 कि.मी. पर मिलते हुए	6.080	55.00
47.500 कि.मी. जी.बी.नगर जिले में लुहारली गांव के पास	खुरजा बाइपास, 84.400 कि.मी. से शुरू होकर 93.900 कि.मी. पर मिलते हुए	2.350 7.150	85.00
113.300 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 110.100) अलीगढ़ जिले में सोमना गांव के पास	गाभना बाइपास, 114.100 कि.मी. से शुरू होकर 122.400 कि.मी. पर मिलते हुए	8.300	75.00

113.300 कि.मी. (विद्यमान चैनैज) 110.100) अलीगढ़ जिले में सोमना गांव के पास	अलीगढ़ बाइपास, 130.000 कि.मी. से शुरू होकर 149.00 कि.मी. पर मिलते हुए	19.900	185.00
--	---	--------	--------

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014-15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उन्हें ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा अथवा टोल प्लाजा को पार नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं निम्नलिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि ऐसा संशोधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से छह मास की अवधि व्यतीत न हो गई है।

[फा.सं. भाराराम्रा/13013/453/सीओ/10-11/जीसी-गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन]

अलकेभा शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 49(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2594 (E), dated 12.10.2009, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 23.600 to kilometer 140.200 [Ghaziabad - Aligarh Section] of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India, (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provisions of section-14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 20.05.2010 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s Ghaziabad Aligarh Expressway Pvt. Ltd., having its registered office at D-5/7, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 19.06.2009 for the development of the Ghaziabad - Aligarh Section from km 23.600 to km 140.200 (design chainage of the above stretch - km 23.600 to km 149.900, length 126.30 km) (hereinafter referred to as the "said section") of the National Highway No. 91 in the state of Uttar Pradesh to Four- laning and subsequently to Six - laning thereof before the 12th Anniversary of the Appointed Date on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the four and more lane sections of the stretch from km 23.600 to km 140.200 (design chainage of the above stretch - km 23.600 to km 149.900, length 126.30 km) (Ghaziabad - Aligarh Section) of NH-91 at the rates specified in columns (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") for net road length of 74.350 km and at the base rates

specified in the Table No. 2 for bridges/structures/ bypasses costing Rupees Fifty Crore or more for a length of 51.800 km on the Type of Vehicles specified in Column(1) of Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (Rupees in Crore)	Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)				
	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees fifteen crore and up to rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees one hundred crore and upto rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 47.500 (existing chainage 47.022) near Luharali village in Dist. GB Nagar	46.700
At km 113.300 (existing chainage 110.100) near Somna village in Dist. Aligarh	27.650*

* Length for which fee is payable is 27.650 km as per Schedule R of the said agreement, though as per actual, length is 27.800 km.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses at the following Toll Plaza(s) at the base rate for the cost of bypasses specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) and Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (in Rupees Crore) for which additional fee is payable		
	Name and Design Chainage	Length	Cost
At km 47.500 near Luharali village in Dist. GB Nagar	Dadri Bypass taking off at km 33.830 and joining at km 41.850	8.020	80.00
At km 47.500 near Luharali village in Dist. GB Nagar	Sikandarabad Bypass taking off at km 54.020 and joining at km 60.100	6.080	55.00
At km 47.500 near Luharali village in Dist. GB Nagar	Khurja Bypass taking off at km 84.400 and joining at km 93.900	2.350	85.00

At km 113.300 near Somna village in Dist. Aligarh		7.150	
At km 113.300 near Somna village in Dist. Aligarh	Gabhana Bypass taking off at km 114.100 and joining at km 122.400	8.300	75.00
At km 113.300 near Somna village in Dist. Aligarh	Aligarh Bypass taking off at km 130.000 and joining at km 149.900	19.900	185.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Twenty five only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be permitted to use the National Highway or cross the toll plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from COD.

[F. No. NHAI/13013/453/CO/10-11/GC-(Ghaziabad – Aligarh Section)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

9892715-2

